न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 165/2017 **दायरा दिनांक : 10.10.2017**

उनवान

रशीदा पत्नी मरहूम अब्दुल हमीद जी, जाति मुसलमान, निवासी पलायथा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रभारी अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पलायथा, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— श्रीमान् जिला कलेक्टर, महोदय, बारां

3— श्रीमान् तहसीलदार, अन्ता जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मोहम्मद यूनुस अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 12.11.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एवं कोलोनाईजेशन अधिनियम जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या — एफ—4(5)(38)राजस्व/17 निर्णय दिनांक 16.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1487 रकबा 2.17 हेक्टर वाके ग्राम पलायथा, तहसील अन्ता में स्थित है । जिसपर अपीलांट के पूर्व 522 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज काश्त थे उसी हैसियत से अपीलांट के पति का स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में तिल्ली की फसल खड़ी है । उक्त आराजी के पास ही पुराने खसरा नम्बर 967 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा का कब्रिस्तान है जो उक्त भूमि के दोनों साईड़ों से लगा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1487 में से 0.25 हेक्टर आराजी राजकीय पशु चिकित्सालय पलायथा के नाम आवंटित कर दी गई है । उपरोक्त आराजी पर अपीलांट के काश्तकारी के सामान रखने आदि के लिये दो कमरे बने हुए हैं तथा शेष आराजी में काश्त करती है । इसके अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है । अपीलांट की आजीविका का एक मात्र यही साधन है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आवंटन के पूर्व अपीलांट को सुनवायी का मौका दिया जाना चाहिए था । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आवंटन किया गया है जो निरस्तनीय है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.05.2017 को निरस्त फरमाया जाये अन्यथा अपीलांट का फारी क्षति होगी । विवादित आराजी पूर्वजों को मजार पीर तार खां की माफी भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है उसका भाग है । अतः अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त फरमाया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.09.2017 को हुई । जानकारी की

तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया गया एवं अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों के अतिरिक्त विशेष रूप से यह कथन किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजी पूर्वजों की मजार पीर तार खां की माफी भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है उसका भाग है तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का नोटीफिकेशन राजस्व (ग्रुप–6)विभाग क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 का उल्लेख किया गया है । यह जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मंदिर और दरगाह की जमीनों को पूर्व राजस्व रेकार्ड के अनुसार अन्तरित किये जाने का आदेश दिया गया है । अतः उसी परिपत्र की पालना में उपरोक्त आराजी को पूर्व राजस्व रेकार्ड अनुसार दर्ज किया जाये । अपने तथ्यों की पुष्टि में अपीलांट द्वारा एक पट्टा ठिकाना पलायता का पेश किया गया है । ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से अपील खारिज की है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया गया एवं उपर्युक्त परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6)विभाग क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 का भी अध्ययन किया गया । जिसके अनुसार यह निर्देशित किया गया कि दिनांक 13.12.1991 की पालना में जमाबंदी में मंदिर माफी/देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम विलोपित कर इस आदेश को संधारित रजिस्टर में उनका अंकन किया जाये । यदि नहीं किया गया है तो पृथक से रजिस्टर दर्ज कर लिया जावे अर्थात् भविष्य में जमाबंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी देव मूर्ति के साथ पुजारी या सेवक का नाम नहीं लिखा जाए । उपरोक्त समस्त परिपत्र के अध्ययन में इसी बात का उल्लेख है कि मंदिर माफी/देवमूर्ति की जमीनों में पुजारी का नाम हेतु अलग से रजिस्टर संधारित किया जावे एवं पुजारी की भूमिका मंदिर के संरक्षक के रूप में निर्धारित की गई है । वर्तमान में उपरोक्त आराजी किस्म बंजड़ राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है एवं ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे कि उपरोक्त जमीन मंदिर एवं अन्य माफी की प्रदर्शित होती हो जो पट्टा अपीलांट के द्वारा दर्शाया गया है वह सैटलमेंट से पूर्व का है एवं इससे कहीं स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त जमीन किस माफी मंदिर की है । उपरोक्त पट्टे को न तो एक्जीविट करवाया गया है और न ही प्रमाणित करवाया गया है । क्योंकि उपरोक्त विवादित आराजी किसी भी प्रकार से मंदिर अथवा दरगा माफी की सिद्ध नहीं होती है । अतः प्रस्तुत राजस्व (ग्रुप–6)विभाग क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 का जो परिपत्र है वह भी इस पर लागू नहीं होता है । प्रार्थी किसी भी प्रकार से अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा